

राजस्थान सरकार
वन विभाग

॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा ॥

(Nayapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-rcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं०-0744-2322747

क्रमांक:-एफ()उवसं/तक./ 2022-23/ 3528

दिनांक: 4.5.23


निमित्त:-

अधिशायी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड
रामगंजमण्डी।

विषय:- Construction of road under PMGSY Salawadkhurd to barodiya antari

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जिला कोटा में सलावद खुर्द से बडौदिया आंतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/162 दिनांक 11.05.2009 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति को 5 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरान्त अनुपालना पूर्ण न होने के कारण पत्र क्रमांक 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/819 दिनांक 18.09.2015 से स्वीकृति निरस्त होने से नवीन ऑनलाईन प्रस्ताव अधिशायी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड रामगंजमण्डी द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में आप द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में 1192459रु वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने 9.792 है० अवनत वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक जमा करवाये गये हैं। उच्च कार्यालय से दूरभाष पर कि गई वार्ता के अनुसार फोरेस्ट कर्जवेशन एक्ट 1980 के दण्ड प्रावधान 1.21 का III (बी) के अनुसार राशि 1875716.00 रुपये जमा करवायी जानी है, पूर्व में जमा करायी गई राशि व वर्तमान राशि का अन्तर 683257 रु जमा कराये ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1 
उप वन संरक्षक
कोटा
23/05/23